



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 2013/ज्येष्ठ 20, 1935

No. 02]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2013/JYAISTHA 20, 1935

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून 2013

सा.का.नि. 2(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 41 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय के सशस्त्र बल अधिकरण में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल अधिकरण, समूह 'ग' पद (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों का आमेदन.—(1) इन नियमों के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को, प्रतिनियुक्ति के आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी-2, अवर श्रेणी लिपिक-सह-हिन्दी टंकक, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक, स्टाफ कार चालक, सवार हरकारा, पुस्तकालय परिचर और बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (चपरासी-सह-सहायक) का पद धारण करने वाले व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव को पूरा करते हैं और विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त समझा गया है, इस शर्त के अधीन संबंधित श्रेणी में आमेदन के लिए पात्र होंगे कि ऐसे व्यक्ति आमेदन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे और उनका मूल विभागों का अधिकरण में उनके आमेदित किए जाने के प्रति कोई आक्षेप नहीं है।

(2) उप-नियम (1) में वर्णित अधिकारियों की ज्येष्ठता मूल विभाग में उनके द्वारा धारित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख के प्रतिनिर्देश से अवधारित की जाएगी।

(3) आमेलन के लिए व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा।

6. **सेवा की शर्तें :** भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों, चिकित्सीय सुविधाओं और सेवा की अन्य शर्तों के विषय में अधिकरण के उक्त पदों की सेवा-शर्तें ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी जो तत्समान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतन मान के केन्द्रीय सरकार के समूह “ग” पदों के अधिकारियों को तत्समय लागू होते हैं।

7. **सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया :** उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) अधिकरण, अखिल भारतीय आधार पर, विज्ञापन के माध्यम से उक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा;
- (ख) प्राप्त किए गए आवेदनों पर अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा पात्रता के लिए छानबीन की जाएगी;
- (ग) यदि प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या ज्यादा है, तब चयन समिति प्रारंभिक लिखित परीक्षा की सिफारिश कर सकेगी;
- (घ) भर्ती निम्नलिखित से मिलकर बनी चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की जाएगी :—
 - (i) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य — अध्यक्ष
 - (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए गए प्रशासनिक सदस्य — सदस्य
 - (iii) अधिकरण का प्रधान रजिस्ट्रार — सदस्य

8. **प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया :** उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) अधिकरण, अखिल भारतीय आधार पर, विज्ञापन के माध्यम से उक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा;
- (ख) उक्त पदों के लिए प्राप्त आवेदनों की अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा पात्रता के लिए जांच की जाएगी;
- (ग) नियम 7 के खंड (घ) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा संचालित साक्षात्कार।

9. **निरर्हता :** वह व्यक्ति, —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या;
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
1. उच्च श्रेणी लिपिक	45* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड -1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2400/-रु.	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
11

प्रोन्नति :

ऐसा अवर श्रेणी लिपिक या आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक जिन्होंने वेतन बैंड 1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड

वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकाय या न्यायालयों के ऐसे अधिकारी :

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जो वेतन बैंड 1, 5200–20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे पदधारी जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति/आमेलन के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण - 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –	लागू नहीं होता
(i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) — अध्यक्ष	
(ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार — सदस्य	
(iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय — सदस्य	
(iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी — सदस्य	

1	2	3	4	5
2. आशुलिपिक श्रेणी-II	45* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड -1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2400/-रु.	लागू नहीं होता

6

18-27 वर्ष

7

आवश्यक :

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है ।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य ;

(2) कौशल परीक्षण मानदंड : कम्प्यूटर पर

श्रुतलेख : 10 मिनट में 80 शब्द प्रतिमिनट की गति

अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी); 65 मिनट (हिन्दी) ।

(3) कम से कम छह मास की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

8	9	10
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन या भूतपूर्व सैनिकों का पुनःनियोजन द्वारा

11

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों के ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं और जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ।

प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/आमेलन के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेसन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12	13
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी —	लागू नहीं होता
(i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) — अध्यक्ष	
(ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार — सदस्य	
(iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय — सदस्य	
(iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी — सदस्य	

1	2	3	4	5
3. अवर श्रेणी लिपिक-सह-हिन्दी टंकक	58* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड -1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900/-रु.	चयन

6	7
18-27 वर्ष	आवश्यक :
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है ।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य;
	(ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 और 30 शब्द प्रति मिनट) ।
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	(अनुज्ञात समय - 10 मिनट)
	(iii) कम से कम छह मास की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

8	9	10
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(क) (i) खुले विज्ञापन के माध्यम से 85% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा। (ii) 10% रिक्तियां ग्रेड वेतन 1800/- रुपए में समूह "ग" कर्मचारिवृंद में से भरी जाएंगी और जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता है और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। (iii) 5% रिक्तियां समूह "ग" कर्मचारियों में से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रुपए के साथ उन पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : पहले तीन वर्षों के लिए क(ii) के अधीन रिक्तियां उपरोक्त क के अनुसार भरी जाएंगी। टिप्पण 2 : संबंधित वर्ष की उपरोक्त खंड (iii) के अधीन न भरी गई रिक्तियां आगे अग्रपिछ नहीं की जाएंगी।

प्रतिनियुक्ति :

ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं और जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) —

लागू नहीं होता

- (i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) -- अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार -- सदस्य
- (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय -- सदस्य
- (iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी -- सदस्य

1	2	3	4	5
4.	60* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1 5200- 20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900/-रु.	लागू नहीं होता

6	7	
18-27 वर्ष	आवश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य ; (ख) सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर क्षेत्र में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र; और (ग) आंकड़ा प्रविष्टि या कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान । (आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 की डिप्रेशन से कम की गति नहीं होनी चाहिए) वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक । टिप्पण : आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 की डिप्रेशन की गति का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग (इडीपी) पर गति परीक्षण किया जाएगा । टिप्पण - अनुभव संबंधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	
8	9	10
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन या भूतपूर्व सैनिकों का पुनःनियोजन द्वारा
11		

प्रतिनियुक्ति/आमेलन :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों से ऐसे अधिकारी :-

- जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- जो वेतन बैंड 1, 5200-20,200 ₹0 + ग्रेड वेतन 1900 ₹0 में पद धारण किए हुए हैं साथ ही उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए - प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति या आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12			13	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -			लागू नहीं होता	
(i)	प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ)	-- अध्यक्ष		
(ii)	संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार	-- सदस्य		
(iii)	अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय	-- सदस्य		
(iv)	किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी	-- सदस्य		

1	2	3	4	5
5.स्टाफ कार चालक	31* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन बैंड -1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900/-रु.	लागू नहीं होता

6	7
18-27 वर्ष	आवश्यक :
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है ।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर उत्तीर्ण; (ii) कम से कम तीन वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव; (iii) मोटर कार चलाने का विधिमान्य अनुज्ञप्ति; (iv) मोटर के कल पुरजे का ज्ञान (यान की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए) वांछनीय : होम गार्ड या स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा ।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण - अनुभव संबंधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

8	9	10
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन या भूतपूर्व सैनिकों का पुनःनियोजन द्वारा

11

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : निम्नलिखित व्यक्तियों में से स्टाफ कार चालकों में आवश्यक समझे गए सक्षमता के मानकों के प्रतिनिर्देश से पद के लिए उपयुक्त न्यायनिर्णित करने के लिए अभिकल्पित चालन परीक्षा के परिणामों के आधार पर, जो -

(क) ऐसे व्यक्ति जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों में स्टाफ कार चालक के पद पर नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं हैं; या

(ख) वेतन बैंड 1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में नियमित सवार हरकारा (समूह 'ग') जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं हैं; और जिनके पास मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो;

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों जहां अधिकरण से संबंधित न्यायपीठ स्थित हैं में वेतन बैंड 1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में नियमित तीन वर्ष सेवा की हो और जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए - प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति या आमेलन के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से

अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -	लागू नहीं होता
(i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) -- अध्यक्ष	
(ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार -- सदस्य	
(iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय -- सदस्य	
(iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी -- सदस्य	

1	2	3	4	5
6. सवार 9* हरकारा (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900/-रु.	लागू नहीं होता	

6	7
18-27 वर्ष	आवश्यक :
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है ।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से 10वीं स्तर उत्तीर्ण सहित अंग्रेजी और हिन्दी या जहां अधिकरण स्थित है उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा को पढ़ने की योग्यता;
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	(ii) मोटर साईकल या स्कूटर या आटो रिक्शा चलाने का विधिमान्य अनुज्ञप्ति और ऐसे यान चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ;
	(iii) मोटर साईकल या स्कूटर या आटो रिक्शा के कल पुरजे का ज्ञान और ऐसे यान की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य हो ।
	टिप्पण - अनुभव संबंधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

8	9	10
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेदन या भूतपूर्व सैनिकों का पुनःनियोजन द्वारा

11

प्रतिनियुक्ति/आमेदन : (i) मोटर साइकल या स्कूटर चालकों में आवश्यक समझे गए सक्षमता के मानकों के प्रतिनिर्देश से पद के लिए उपयुक्त न्यायनिर्णित करने के लिए अभिकल्पित चालन परीक्षा के परिणामों के आधार पर, वेतन बैंड 1, 5200-20,200 ₹0 + ग्रेड वेतन 1900 ₹0 में केन्द्रीय सरकार या सशस्त्र बल या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों में यान चलाने का तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले नियमित समूह "ग" कर्मचारियों में से, और जिनके पास स्तंभ (7) में उल्लिखित अर्हताएं हैं; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या सशस्त्र बलों या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों में ऐसे व्यक्ति जो सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए - प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति या आवेदन के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

12

13

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) -

लागू नहीं होता

- (i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) -- अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार -- सदस्य
- (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय -- सदस्य
- (iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी -- सदस्य

1	2	3	4	5
7. पुस्तकालय परिचर	18* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800/-रु.	लागू नहीं होता

6	7
18-27 वर्ष	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य और (ii) किसी मान्यताप्राप्त या पंजीकृत पुस्तकालय में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	टिप्पण - अनुभव संबंधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

8	9	10
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन या भूतपूर्व सैनिकों का पुनःनियोजन द्वारा

11

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा : वेतन बैंड 1, 5200— 20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में समूह "ग" कर्मचारिवृद्ध में से, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार या सशस्त्र बल या राज्य सरकार या अधिकरण या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों या सशस्त्र बल अधिकरण में एक वर्ष नियमित सेवा और जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं और अनुभव हैं; तथा उस हैसियत में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए - प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति या आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12			13	
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) -			लागू नहीं होता ।	
(i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) -- अध्यक्ष				
(ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार -				
- सदस्य				
(iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय -- सदस्य				
(iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी -- सदस्य				
1	2	3	4	5
8. बहु 46* कार्य (2013) कर्मचारिवृद्ध *कार्यभार के आधार पर (चपरासी- परिवर्तन किया जा सकता सह-हेल्पर) है ।		साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अ@ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ, अनुसूचित विधायक	वेतन बैंड -1 5200-20,200 रु0 + ग्रेड वेतन 1800/-रु0	ãÉÉMéÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
6			7	
18-27 वर्ष			आवश्यक :	
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक तथा भूतपूर्व सैनिकों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है ।)			(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य	
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)			वांछनीय - होम गार्ड और स्वयं सेवक के रूप में "बुनियादी" और "पुनश्चर्या" में प्रशिक्षण ।	
			टिप्पण - अनुभव संबंधी अर्हता अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	

8	9	10
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 75% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन या पुनःनियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा । (ii) 25% प्रतिनियुक्ति/आमेलन या पुनःनियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

11

प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में: ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अधिकरणों या आयोगों या कानूनी निकायों या न्यायालयों में सदृश पद धारण किए हुए हैं जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए - प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति या आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

12

13

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -

लागू नहीं होता ।

- | | |
|--|------------|
| (i) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) | -- अध्यक्ष |
| (ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ) या अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किसी प्रादेशिक पीठ का रजिस्ट्रार | -- सदस्य |
| (iii) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय | -- सदस्य |
| (iv) किसी अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अधिकारी | -- सदस्य |

[फा.सं. पीसी-2 से एम.एफ. 4(01)/2010-डी(एएफटीसी)]

समीर कुमार खरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2013

S.R.O. 2(E):— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 read with clause (e) of sub-section (2) of section 41 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in the Armed Forces Tribunal, Ministry of Defence, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Armed Forces Tribunal, Group 'C' posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .—** The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Absorption of employees appointed on deputation.** —(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons holding the posts of Upper Division Clerk, Stenographer Grade II, Lower Division Clerk cum Hindi Typist, Data Entry Operator, Staff Car Driver, Despatch Rider, Library Attendant and Multi Tasking Staff (Peon-cum-helper) on the date of commencement of these rules on deputation basis and who fulfill the qualifications and experience laid down in these rules and who are considered suitable by the Departmental Promotion Committee, shall be eligible for absorption in the respective grade subject to the condition that such persons exercise their option for the absorption, and that their parent Departments do not have any objection to their being absorbed in the Tribunal.
(2) The seniority of the officers mentioned in sub-rule (1) shall be determined with reference to the dates of their regular appointment to the posts held by them in the parent Department.
(3) The suitability of persons for absorption may be considered by a Departmental Promotion Committee.
6. **Conditions of service.**—The conditions of service of the said posts of the Tribunal in matter of allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules as are for the time being applicable to officers belonging to Group C posts of the Central Government of the corresponding pay band and grade pay or pay scale.
7. **Procedure for direct recruitment .—** The following procedure shall be followed for making direct recruitment to the posts specified in the said Schedule namely:-
(a) the Tribunal shall invite applications for the said posts through an advertisement on all India basis;
(b) the applications received shall be screened for eligibility by a Screening Committee constituted by the Chairperson of the Tribunal;
(c) if the number of applications received is large, then the Selection Committee may recommend a preliminary written examination;
(d) the recruitment shall be done in interview by a Selection Committee comprising of:-
(i) Chairperson or Judicial Member nominated by the Chairperson of the Tribunal -Chairman;
(ii) Administrative Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member;
(iii) Principal Registrar of the Tribunal - Member.
8. **Procedure for appointment on deputation . —** The following procedure shall be followed for making appointment on deputation to the said posts, namely:—
(a) the Tribunal shall invite applications for the said posts through an advertisement on all India basis;
(b) the applications received thereof shall be screened for eligibility by a Screening Committee constituted by the Chairperson;

(c) interview conducted by the Selection Committee referred to in clause (d) of rule 7.

9. Disqualifications .—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. Power to relax.— Where the Chairperson, Armed Forces Tribunal is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes , Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Upper Division Clerk.	45* (2013) Subject to variation dependent on workload	General Central Service. Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.2400	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion , failing which by deputation/absorption

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption, to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerks or Data Entry Operators in the pay band-1; Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.1900 with eight years regular service in the grade. Note: 1:- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench)- Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal - Member	Not applicable.

Note: 2:- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation/ Absorption:- Officers from Central Government or State Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts:- (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) holding the post in the pay band-1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1900 with eight years regular service. Note: 1:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note: 2:- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note: 3:- The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the applications. Note: 4:- For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	(iii) Under Secretary, Ministry of Defence - Member (iv) Scheduled Castes or Scheduled Tribes officer from another Government Department or Office -Member
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Stenographer Grade II	45* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400	Not applicable	18-27 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in case of Ex-servicemen in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (1) 12 th class pass or equivalent from a recognised Board or University. (2) Skill Test Norms: On computer. Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription: 50 minutes (English); 65 minutes (Hindi). (3) Computer training course of at least six months duration. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairperson, Armed Forces Tribunal, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Chairperson, Armed Forces Tribunal, is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	Direct Recruitment failing which by deputation/ absorption or re-employment of ex-servicemen.	Deputation/ absorption: Officers possessing the qualifications prescribed for direct recruitment in column (7) and holding analogous posts on regular basis in the Central Government or State Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts. Deputation/re-employment - The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. Note:1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Group-‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):— (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench)—Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal — Member (iii) Under Secretary, Ministry of Defence — Member (iv) Scheduled Castes or Scheduled Tribes officer from another Government Department/Office — Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Lower Division Clerk-cum-Hindi Typist	58* (2013) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900	Select ion	18-27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in case of Ex-servicemen in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh,	Essential: (i) 12th Class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University; (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour/9000 Key Depression Per Hour on an average of 05 key depressions for each word). (Time allowed-10 minutes) (iii) Computer training course of at least six	Age: No Educational Qualification Yes.	Two years for direct recruits.

					Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	months duration. Desirable: Graduate from a recognised university. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairperson, Armed Forces Tribunal, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Chairperson, Armed Forces Tribunal, is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
A. (i) 85% by direct recruitment through open advertisement failing which by deputation /absorption. (ii) 10 % of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade on the basis of departmental qualifying examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs.1800. Note: 1: For the first three years the vacancies under A (ii) shall be filled as per A above. Note 2: Unfilled vacancies under clauses (iii) above pertaining to a particular year shall not be carried over.	Deputation: Officers possessing the qualifications prescribed for direct recruitment in column (7) and holding analogous posts on regular basis in the Central Government or State Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts. For Ex-servicemen: Deputation/re-employment— The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. Note:1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):— (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench)-Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Defence - Member (iv) The Scheduled Castes or the Scheduled Tribes officer from another Government Department or Office –Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Data Entry Operator.	60* (2013) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service. Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1; Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900.	Not applicable.	18-27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in	Essential: (a) 12 th class pass or equivalent qualification from a recognised institution or board or equivalent; and (b) Diploma or Certificate in Information Technology	Not applicable.	Two years for direct recruits.

				case of Ex-servicemen in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	or Computer field; and. (c) Knowledge of data entry or computer operation (should possess a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour for data entry work). Desirable: Graduate from a recognised university. Note: The speed of 8000 Key Depressions per hour for data entry works is to be judged by conducting a speed test on the Electronic Data of Processing(EDP) Machine(s) by the Competent Authority. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairperson, Armed Forces Tribunal, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Chairperson, Armed Forces Tribunal, is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
(10)	(11)				(12)	(13)	
Direct Recruitment, failing which by deputation/absorption or re-employment (For Ex-servicemen).	Deputation/Absorption : Officers from the Central Government or State Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts;(i) holding analogous post on regular basis or (ii) holding post(s) in the pay band-I, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1900, with two years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruitment in column (7). For Ex-servicemen: Deputation/re-employment - The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. Note:1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.				Group-‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):- (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench)- Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Defence - Member (iv) The Scheduled Castes or the Scheduled Tribes officer from another Government Department or Office -Member	Not applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Staff Car Driver	31* (2013) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Pay band-1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1900	Not appli- cable	18-27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in case of Ex-servicemen in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division and Pangi Sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) 10 th standard pass from a recognised Board; (ii) Experience of driving a motorcar for at least three years, (iii) Possessing a valid driving licence for motorcars; (iv) Knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor-defects in vehicle). Desirable: Three years service as Home Guard or Civil Volunteers. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairperson, Armed Forces Tribunal, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Chairperson, Armed Forces Tribunal, is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits
(10)	(11)				(12)			(13)
Direct recruitment, failing which by deputation/ absorption or re-employment (For Ex- servicemen).	Deputation/Absorption: On the results of a test in driving, designed to adjudge suitability for the post with reference to the standards of competence considered essential in drivers of staff cars from amongst; (a) persons holding analogous posts of staff car drivers in Ministries or Departments of the Central Government or State Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts on regular basis and possessing qualifications prescribed in column (7); or (b) regular Despatch Riders (Group 'C') in the pay band -1 Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.1900, who possess qualification prescribed in column (7) and possessing a valid Driving License for Motor Cars; or (c) regular Group 'C' employees in the pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1800, with three years experience of the Central Government or State Government or Tribunals or Commissions or statutory bodies or courts located where the concerned Bench of the Tribunal is functioning and possess the qualification prescribed in column (7). For Ex-servicemen: Deputation/re-employment - The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re- employment.				Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):- (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) —Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Defence - Member (iv) The Scheduled Castes or Scheduled Tribes officer from another Government Department or Office –Member			Not appli- cable

	Note:1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Despatch Rider.	9 (2013) (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. - 1900	Not applicable	18-27 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in case of Ex-servicemen in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential: (i) 10 th standard pass from any recognised Board or equivalent with ability to read English and Hindi or Regional Language of the area in which the Tribunal is situated; (ii) Possessing a valid driving licence for motor cycle or Scooter or auto-rickshaw and experience of driving such vehicle for at least three years. (iii) Having knowledge of mechanism of motor cycle or Scooter or auto-rickshaw and should be able to remove minor-defects in such vehicle. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairperson, Armed Forces Tribunal, in the case of candidates belonging to the the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stages of selection he is of the opinion that the sufficient numbers of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them	Not applicable
(9)	(10)	(11)	(12)		(13)		
Two years for direct recruit	Direct recruitment, failing which by deputation or absorption or re-employ-	Deputation/Absorption: (i) On the results of a test in driving, designed to adjudge suitability for the post with reference to the standards of competence considered essential in drivers of motor cycles or scooters, from amongst the regular Group 'C' employees in the pay band-1 Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.1800, with three years experience of driving in Central Government or Armed Forces or	Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):- (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) —Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Defence - Member (iv) The Scheduled Castes or the Scheduled Tribes officer from another Government Department or Office —Member			Not applicable.	

	ment (For Ex-service-men).	State Governments or Tribunals or Commissions or statutory bodies or courts and possessing the qualification mentioned in column (7); or (ii) Persons possessing the qualifications prescribed in column (7) and holding analogous posts in the Central Government or Armed Forces or State Government or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts. For Ex-servicemen: Deputation/re-employment – The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment. Note:1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	----------------------------	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7. Library Attendant	18* (2013) Subject to variation dependent on work load	General Service, 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Central Group Non-	Pay band- 1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1800	Not applicable	18-27 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in case of Ex-servicemen in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date	Essential: (i) 10 th standard pass or equivalent of any recognised Board; and (ii) Experience of working at least one year in a recognized or registered Library. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairperson, Armed Forces Tribunal, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stages of selection he is of the opinion that the sufficient numbers of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable

					for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		
--	--	--	--	--	---	--	--

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruits	Direct recruitment, failing which by deputation or absorption or re-employment (For Ex-servicemen)	By deputation/absorption from amongst the Group 'C' staff in the pay band-I Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1800, with one year regular service in the grade in the Central Government, Armed Forces, State Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts or Armed Forces Tribunal and who possess the qualifications and experience prescribed in column (7) and have rendered three years regular service in the capacity. For Ex-servicemen: Deputation/re-employment - The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. Note:1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):- (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) - Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal - Member (iii) Under Secretary, Ministry of Defence - Member (iv) The Scheduled Castes or the Scheduled Tribes officer from another Government Department or Office -Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Multi Tasking Staff (Peon-cum-helper).	46* (2013) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted; Non-Ministerial.	Pay band-1; Rs 5200-20200 plus grade pay of Rs.1800.	Not applicable.	18-27 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and also relaxable in case of Ex-servicemen in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division and Pangl Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: 10 th Standard pass or equivalent from any recognised Board. Desirable: Training in 'Basic' and 'Refresher' Courses in Home Guards and Civil Defence. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairperson, Armed Forces Tribunal, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stages of selection he is of the opinion that the sufficient numbers of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 75% by direct recruitment failing which by deputation/absorption or reemployment (For Ex-servicemen). (ii) 25% by deputation/absorption or reemployment (For Ex-servicemen), failing which by direct recruitment.	In case of deputation/absorption: Persons holding analogous posts in Central Government or State Governments or Tribunals or Commissions or Statutory Bodies or Courts possessing qualifications specified in column (7). For Ex-servicemen: Deputation/re-employment - The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered, who shall, if selected, be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. Note: 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note: 2. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note: 3. For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Principal Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench)- Chairman (ii) Joint Registrar, Armed Forces Tribunal (Principal Bench) or Registrar of any Regional Bench to be nominated by the Chairperson Armed Forces Tribunal — Member (iii) Under Secretary, Ministry of Defence — Member (iv) The Scheduled Castes or the Scheduled Tribes officer from another Government Department or Office — Member	Not applicable

[F. No. PC-2 to M.F. 4(01)/2010-D(AFTC.)]
SAMEER KUMAR KHARE, Jt. Secy.